

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवेध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० 81/19-20

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/3/19	<p>झारखंड सरकार के ज्ञापक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत् है-</p> <p>मौजा- <u>कालाकुंडा</u> मौजा न०- <u>12</u> खाता न०- <u>142, 122</u></p> <p>प्लॉट न० <u>1298, 1303, 1301</u> रकबा <u>4 अड़्डा 8 जर्ज</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी-11 के जिल्द संख्या <u>17</u> के पृष्ठ संख्या <u>327</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्रीमती कर्मा</u> <u>श्री. श्री- मनोज कु. कु.</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बंदोबस्ती के आधार प/अवेध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवेध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>11/4/19</u> को रखे।</p>	

अंचल अधिकारी,

धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से माव्य / प्रतिवेदन अर्थात् २।
अभिलेख दिनांक 15/4/19 को रखे।



15.4.19
अचल अधिकारी
धनबाद।

1/4/19

15/4/19


अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 28/4/19 को रखे।


15.4.19
अचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 29/6/20 को रखे।



15.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मीजा मीजा मीजा नं० 12 खाता 142,122 प्लॉट नं० 1298, 1202, 1201 रकबा 4852 8452 मूमि से संबंधित है। आवेदित मूमि मत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की मूमि है। जमाबंदी रेशम के खांज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिराके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु, नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित मूमि दाखिल खारिज केस नं० (.....) के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्यद माना गया है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया।

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख मूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।


25.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।


25.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या- 81/2018 (अन्तर्गत घांरा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्रीमती कर्मा
परि मन्तक कुं का
सा. - कोनाकुमा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा कोनाकुमा थाना नं०- 12
खाता नं०- 142/22 खेसरा नं०- 1288, 1303, 1301 रकबा- 4322/8 से संबंधित आपके नाम से
हो नं०- 17 के पंजी-II भाग 17 के पृष्ठ 3/27 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक-..... को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।



तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

.....
.....

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4119

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- सी/शाही - बन्दोबस्ती - माला
मिर्जापुरी - माला - मुल्कात माला

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मोजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>माला मुल्कात</u>	<u>12</u>	<u>142</u>	<u>1298</u>	<u>4 कठ</u>
		<u>122</u>	<u>1303</u>	<u>8 कठ</u>
			<u>1301</u>	

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या12..... पृष्ठ सं०3/2..... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है -

2006-07

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवाद

6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दोबस्ती / दा० खा० मु० सं०380(1)
2006-07 माला मुल्कात 2702, 2715 एवं 824 के नाम

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- सी/शाही - मुल्कात माला

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -

31-14 के नाम - 1221(1), 2704-05 माला मुल्कात 28 के नाम

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा

दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>2047-887</u>	<u>19-8-06</u>	<u>06-02</u>

[Signature]